

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

-: आदेश :-

क्र. 234 / एक-11-1 / 97 / (S.W.)

जबलपुर दिनांक- ४८ अप्रैल, 2024

सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक, जो दिनांक 28 दिसम्बर 2023 को जारी किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के विभिन्न आदेशों के माध्यम से स्थानांतरित न्यायिक न्यायाधीश तथा उनके स्थान पर पदस्थ न्यायिक न्यायाधीश तथा नवीन न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक न्यायाधीश बनाये जाने के फलस्वरूप कार्य विभाजन पत्रक में आंशिक संशोधन किया जाना है, जो तत्काल प्रभावशील होगा।

01. सरल क्र. 05 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश, तृतीय एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकारण जबलपुर के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल एवं आपराधिक बिन्दु को विलोपित किया जाकर रिक्त न्यायालय जोड़ा जाता है।

02. सरल क्र. 31 ए में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर जिला न्यायाधीश, छबीसवां एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकारण जबलपुर प्रतिस्थापित कर कॉलम नं0 04 में दर्शित आपराधिक बिन्दु क्रमांक-01, 02, 03 एवं सिविल बिन्दु क्रमांक-01 एवं 02 विषयक जोड़ा जाता है।

01. सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सेशन प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र।

02. मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी, अनुपपुर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, सतना, कटनी, दमोह एवं सीधी जिलों के संसद तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की सुनवाई से संबंधित प्रकरण।

03. मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर, छतरपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, सतना, पन्ना, शहडोल, कटनी, अनुपपुर, मण्डला, सागर, छिंदवाड़ा, रीवा, सीधी, बालाघाट, डिण्डोरी, उमरिया एवं सिंगरौली जिले के व्यवसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं से संबंधित अपराध (एस.टी.एफ. भोपाल एवं सी.बी.आई दिल्ली द्वारा अन्वेषित प्रकरणों) से उदभूत होने वाले विशेष प्रकरण तथा धारा 438, 439, द.प्र.स. के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।

01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद एवं साम्प्रतिक नियमित व्यवहार अपीलें एवं विविध व्यवहार अपीलें एवं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।

02. आरक्षी केन्द्र जिला सागर से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।

03. सरल क्र. 31 ए में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर **जिला न्यायाधीश, तीसवां एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकारण जबलपुर प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल बिन्दु क्रमांक-01 व आपराधिक बिन्दु क्रमांक-01 विषयक जोड़ा जाता है।
01. सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सेशन प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र।
01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद एवं साम्प्रतिक नियमित व्यवहार अपीलें एवं विविध व्यवहार अपीलें एवं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।
04. सरल क्र. 33 ए में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर **जिला न्यायाधीश, प्रथम एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकारण जबलपुर के द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल बिन्दु क्रमांक-01 व आपराधिक बिन्दु क्रमांक-01 विषयक जोड़ा जाता है।
01. सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सेशन प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र।
01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद एवं साम्प्रतिक नियमित व्यवहार अपीलें एवं विविध व्यवहार अपीलें एवं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।
05. सरल क्र. 41 में दर्शित न्यायालय **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक बिन्दु क्रमांक-03 जोड़ा जाता है।
03. 5,00,001 से 50,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के "ए" तथा "बी" श्रेणी के सम्प्रातिक बाद जो जबलपुर तहसील से उद्भूत हुए हों।
06. सरल क्र. 44 में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर **षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक जोड़ा जाता है।
01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।
07. सरल क्र. 45 में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर **सप्तम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक बिन्दु क्रमांक-01 एवं 02 जोड़ा जाता है।

01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।

08. सरल क्र. 46 में दर्शित न्यायालय अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), जबलपुर के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल बिन्दु क्रमांक-03 एवं 04 को विलोपित किया जाता है।

09. सरल क्र. 47 में दर्शित न्यायालय नवम् व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), जबलपुर के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल बिन्दु क्रमांक-01 को विलोपित किया जाकर रिक्त न्यायालय जोड़ा जाता है।

10. सरल क्र. 48 में दर्शित न्यायालय दशम् व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), जबलपुर के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल बिन्दु क्रमांक-01, 02 एवं 03 को विलोपित किया जाकर रिक्त न्यायालय जोड़ा जाता है।

11. सरल क्र. 51 में दर्शित न्यायालय तेरहवां व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक बिन्दु क्रमांक-02 एवं 03 को विलोपित किया जाता है।

12. सरल क्र. 53 में दर्शित न्यायालय पन्द्रहवां व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-02 विलोपित किया जाता है।

13. सरल क्र. 54 में दर्शित न्यायालय सोलहवां व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक बिन्दु क्रमांक-01 के उपरान्त बिन्दु क्रमांक-02 एवं 03 को प्रतिस्थापित किया जाता है।

02. 0 से 5,00,000 रुपये से अधिक मूल्यांकन के भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 भाग-ग के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

03. 50,00,001 से 1,00,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के "ए" तथा "बी" श्रेणी के सम्पातिक बाद जो जबलपुर तहसील से उद्भूत हुए हों।

14. सरल क्र. 55 ए में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर अठारहवां व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक जोड़ा जाता है।

01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।


15. सरल क्र. 56 ए में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर बीसवां व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक बिन्दु क्रमांक-01 एवं 02 जोड़ा जाता है।

01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।

03. **5,00,001 से 1,00,00,000** रुपये तक मूल्यांकन के "ए" तथा "बी" श्रेणी के सम्पातिक वाद जो **कन्टोमेंट क्षेत्र** से उद्भूत हुए हों।
16. सरल क्र. 60 ए में दर्शित नवीन न्यायालय के रूप में **पच्चीसवां व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक बिन्दु क्रमांक-01 एवं 02 जोड़ा जाता है।
- 01 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।
02. **कामर्शियल डिवीजन एण्ड कामर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट एक्ट 2015** के अंतर्गत राजस्व जिला जबलपुर से उद्भूत होने वाले **(व्यवहार न्यायाधीश स्तर पर)** वाणिज्यिक एवं वित्तीय प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य संबंधित कार्यवाहियों।
03. **50,00,001 से 1,00,00,000** रुपये तक मूल्यांकन के "ए" तथा "बी" श्रेणी के साम्पातिक वाद जो **नगर निगम** से उद्भूत हुए हों।
17. सरल क्र. 60 बी में दर्शित नवीन न्यायालय के रूप में **छब्बीसवां व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक बिन्दु क्रमांक-01 एवं 02 जोड़ा जाता है।
- 01 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।
02. **5,00,001 शून्य से 1,00,00,000** रुपये तक मूल्यांकन के "ए" तथा "बी" श्रेणी के साम्पातिक वाद जो **कुण्डम क्षेत्र** से उद्भूत हुए हों।
18. सरल क्र. 60 सी में दर्शित नवीन न्यायालय के रूप में **सत्ताईसवां व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक बिन्दु क्रमांक-01 एवं 02 जोड़ा जाता है।
- 01 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।
19. सरल क्र. 62 में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक बिन्दु -01 एवं 02 जोड़ा जाता है।
01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।
02. **0 से 5,00,000** रुपये तक मूल्यांकन के "ए" तथा "बी" श्रेणी के साम्पातिक वाद जो **कुण्डम क्षेत्र** से उद्भूत हुए हों।

20. सरल क्र. 63 में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक जोड़ा जाता है।
01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।
  02. **0 से 5,000 रुपये तक** मूल्यांकन के "ए" तथा "बी" श्रेणी के साम्प्रतिक वाद जो **नगर निगम** से उद्भूत हुए हों।
21. सरल क्र. 65 में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर **पंचम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक जोड़ा जाता है।
01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।
22. सरल क्र. 68 में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर **अष्टम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक बिन्दु क्रमांक-01 एवं 02 जोड़ा जाता है।
01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।
23. सरल क्र. 69 में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर **नवम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक जोड़ा जाता है।
01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।
24. सरल क्र. 82 में दर्शित न्यायालय **बाईसवां व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) के** कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक बिन्दु क्रमांक-03 को विलोपित किया जाता है।
01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।
25. सरल क्र. 85 में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), सिहोरा प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक जोड़ा जाता है।


01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।
26. सरल क्र. 87 ए में दर्शित न्यायालय रिक्त न्यायालय के स्थान पर **चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) प्रतिस्थापित कर** कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक जोड़ा जाता है।
01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन तथा विविध प्रकरण।

  
(आलोक अवस्थी)  
A. प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जबलपुर

पृष्ठा. क्र. 1698/एक-11-1/97/(S.W.)

जबलपुर दिनांक-4.4.अप्रैल, 2024

- 01- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर  
02- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर,  
03- .....जबलपुर  
04- फाईलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय, जबलपुर/सिहोरा/पाटन  
05- अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर/सिहोरा/पाटन  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जबलपुर